कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

रीवा, दिनांक:- 18 जुलाई /2020

क्रमांक / 635 /प्रवा. कले. / 2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 10-02/ 2020 /17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07.03.2020 के परिप्रेक्ष मे म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए म. प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / आईडीएसपी / 2020 / 272, दिनांक 24.03.2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. / प्र. स. / स्वास / सत्रह / मेडि-3 / 596, भोपाल दिनांक 23.03.2020 द्वारा म. प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्सन 71 (1) एवं 71 (2) मे निहित शक्तियो का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है।

1- त्योंथर तहसील के नगर परिषद चाकघाट वार्ड क्रमांक-02 मे पाए गए COVID-19 संक्रमित पॉजिटिव केस के घरो की जानकारी निम्नानुसार है :--

स. क्र.	स्थान का नाम
1	नगर परिषद चाकघाट वार्ड क्रमांक 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)

2- इस घर को Epicenter घोषित करते हुए ग्राम नगर परिषद चाकघाट के वार्ड क्रमांक 02 को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरो का सर्वे निर्धारित प्रपत्र मे अनिवार्यतः किया जावेगा।

3- कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemices Diseases COVID-19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :--

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	नगर पालिका अधिकारी	पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारी
नगर परिषद चाकघाट वार्ड क्रमांक 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)	श्री संजीव कुमार पाण्डेय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर मो. न. 6264580802	श्री बी.डी. नामदेव तहसीलदार तहसील त्योंथर मो.न. 9425438931	श्री नवीन दुबे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस त्योंथर मो.न. 8602648624	श्रीमती रुपाली दिवेदी मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.परि.चाकघाट मो.न. 7987224711	श्री अंगिराप्रसाद तिवारी अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मो. न. 6264050216

कृ०प०उ०

जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

4- कंटेनमेंट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ नौशाद अहमद खण्ड चिकित्सा अधिकारी त्योंथर मो.न. 9424336978 नोडल अधिकारी रहेगे तथा सहायक नोडल अधिकारी, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास त्योंथर श्रीमती अंजना सिंह,मो.न.-9893084178 रहेगी ।

-:: **कंटेनमेंट एरिया** ::-

1- कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्णरूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियो का होम कोरेंटाईन मे रहना उचित होगा। संदर्भित कार्यालयीन आदेशो के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से क्रियांवयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
2- कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओ के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3- कंटेनमेंट एरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष रेपिड रिस्पांस टीम / मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा, जो प्राप्त दिशानिर्देश के आधार पर हो।
4- उक्त क्षेत्र के एंट्री एक्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियो द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी।
5- समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन कार्यकर्ता / एपीसेंटर से प्रति टीम 50 घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा मे रिपोर्ट डॉ नौशाद अहमद खण्ड चिकित्सा अधिकारी त्योंथर मो.न. 9424336978 जो अनिवार्यतः करायेगे, तथा डॉ बसंत अग्निहोत्री जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल आफीसर मो. न. 9425185810 से समन्वय स्थापित करेगे।
6- समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, स्वास लेने मे तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगे।
7- समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेंटाइन कराया जाना अतिआवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय मे फैलने से रोका जा सके।
8- जिनको होम कोरेंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष क्र माध्यम से) जबतक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाए और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, सम्बंधित के फर्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेंटाइन मे रहना होगा एवं फॉलोअप अतिरिक्त 14 दिन प्रतिदिन रखना होगा।
9- आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत सदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए समस्त सम्बंधितो (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मे उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हे भी होम कोरेंटाइन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करे।
10- जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
11- सस्पेक्टेड केस आर, आर टी / एम. एम. यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे मे आइसोलेशन मे रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे।
12- समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

(डॉ0 इलैयाराजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म. प्र.)

कृ0प0उ0

Scanned with CamScanner

दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र./ 635 /प्रवा. कले. /2020 रीवा, दिनांकः- 18 जुलाई /2020

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवंपरिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकाश विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एव बाल विकास रीवा।
15. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला रीवा ।
16. नगर पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
18. सहायक संचालक, जनसम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म. प्र.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (.प्र.म)

आदेश

रीवा, दिनांक/ जुलाई 18/7/2020

क्रमांक 626 / .कले .प्रवा/ 2020 मध्यप्रदेश शासन लोक :स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 10 एफ /-02/ 2020/17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07.03. पब्लिक हेल्थ एक्ट .प्र.के परिप्रेक्ष मे म 2020 .अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए म 1949 भोपाल का पत्र .प्रक्रमांक / आईडीएसपी /2020 /272, दिनांक 24.03.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2020 मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरसCOVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारीअधिसूचना क्र / .स .प्र / . -मेडि / सत्रह / स्वास3 /596, भोपाल दिनांक 23.03. के सेक्शन 1949 पब्लिक हेल्थ एक्ट .प्र .द्वारा म 2020 71(2) मे प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है। मैं इलैया राजा टी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा म 71 की धारा सेक्सन 1949 पब्लिक हेल्थ एक्ट .प्र .(1) एवं 71(2) मे निहित शक्तियो का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद चाकघाट .वार्ड क्र)02 .म .नि .रा (चाकघाट तहसील त्योंथर को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। क्षेत्र मे सर्वेक्षण कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों --: कर्मचारियो के कर्तव्य निश्चित किए जाते है /

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मो .न .	वार्ड क्र.
1	श्री दयाशंकर केशरवानी	वार्ड प्रभारी न परिषद.चाकघाट	7389459192	वार्ड क्र 02
	श्रीमती मनीषा सिंह	ए.एम.एन. उप.स्वा.केन्द्र चाकघाट	9826847932	
	श्रीमती कल्पना जायसवाल	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाकघाट -	7828854565	
	श्री राजेन्द्र सिंह	सहा शिक्षक.प्रा शाला.कन्या चाक	7974101735	

पर्यविक्षण दल

क्र.	नाम	पद	कार्य
1	श्री बुद्धसेन दिवेदी मो -.न.9473880560	सेक्टर सुपरवाईजर सेक्टर चाकघाट	वार्ड क्र 02

रिजर्व दल

दल क्र.	नाम	पद	मो .न .
1	श्री राजकिशोर गुप्ता	वार्ड प्रभारी नगर परिचाकघाट.	9200456646
2	श्री सुभाष सिंह	केन्द्र मनिका.उप स्वा MPW	9479878261
3	श्रीमती रौशनजहाँ अंसारी	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाकघाट	9229884703
4	श्री अवनीश सिंह	सहा शिक्षक.प्राथ कन्या शाला चाक.	9452787689

जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

कृ०प०उ०

//2//

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय त्योंथर नियंत्रण कक्ष रहेगा नियंत्रण कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था डॉ नौशाद अहमद (खण्ड चिकित्सा अधिकारी) त्योंथर मो-.न.9424336978 करेगे !डॉ वेकपटेल.बी., एम -.न.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योंथर मो.ओ.8878021052 सघन सर्वेक्षण मे प्राप्त आकडो का संकलन करेगे, तथा उक्त कार्य का प्रशिक्षण दिनांक 19.07.2020 को नगर परिषद चाकघाट के सभाकक्ष मे दोपहर 12: 00बजे से आयोजित होगा। प्रशिक्षण खण्ड चिकित्सा अधिकारी त्योंथर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चाकघाट द्वारा दिया जावेगा।

)डॉ 0इलैयाराजा टी(.
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला (.प्र .म) रीवा -

पृ.क्र 636 .प्रवा/ कले/ .2020 रीवा, दिनांक -18 जुलाई /2020

प्रतिलिपि --:

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवंपरिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर जिला रीवाकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. स्टेनो टू अप / स्टेनो टू कलेक्टरर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. .... सम्बंधीजन श्रीकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला (.प्र .म) रीवा -

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner